Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by deputation basis from officers of Central Government : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department ; or (ii) with five years' regular service in the posts in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix, and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran Children's Hospital – Chairperson; 2. Head of the concerned Department, Kalawati Saran Children's Hospital -Member; 3. Deputy Director (concerned), Directorate General of Health Services -Member; 4. Deputy Director (Administration), Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-11018/20/2024-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 111.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, मद्रास (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1978 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई, प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता -** वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है; विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद या अचयन पद।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रशासनिक अधिकारी।	01 (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 8 (47600-151100 रु.)।	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रु) में ऐसे कार्यालय अधीक्षक, जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा प्रशासन, स्थापना और लेखा में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

			टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता के आधे से अधिक या दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ऐसे अधिकारीः (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपए) या समतुल्य में उन पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो ; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हता और अनुभव हों; (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री। (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में लेखा प्रशासन या स्थापना कार्य में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र	(1) उप महानिदेशक (पी) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - अध्यक्ष; (2) निदेशक (ईपीआई), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; (3) निदेशक, बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई - सदस्य; (4) उप निदेशक (ईपीआई) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- (1) उप महानिदेशक (पी) स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय - अध्यक्ष; (2) निदेशक (ईपीआई), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; (3) निदेशक, बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई - सदस्य; (4) उप निदेशक (ईपीआई) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य।	

			नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

[फा. सं. ए- 12018/05/2022-ईपीआई]

राजेश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 11th July, 2025

G.S.R. 111.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Madras (Group 'B'post) Recruitment Rules, 1978, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer in BCG Vaccine Laboratory, Guindy , Chennai in the Ministry of Health and Family Welfare, namely: -

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Administrative Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in pay matrix.**- The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of these rules.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in Pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Administrative Officer.	1 (2025) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix.

Whether selection post or non- selection.	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation.	Promotion: Office Superintendent in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with six years of regular service in the grade; and having successfully completed two to four weeks training in administration, establishment and accounts. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Government, or Union territory Administrations,- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay level-7

			(Rs.44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department and (b)possessing the following qualification and experience: (i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; and (ii)two years' experience in account or administration or establishment work under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment under these rules in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years from the date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Deputy Director General (P), Directorate General of Health Services — Chairperson; (2) Director, EPI, Directorate General of Health Services —Member; (3) Director, BCG Vaccine Laboratory, Chennai —Member; (4) Deputy Director (EPI) Directorate General of Health Services —Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) Consisting of:- (1) Deputy Director General (P), Directorate General of Health Services —Chairperson;	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

(2) Director, EPI Directorate General of Health Services — Member;	
(3) Director, BCG Vaccine Laboratory, Chennai — Member;	
(4) Deputy Director (EPI) Directorate General of Health Services — Member.	

[F. No. A-12018/05/2022-EPI]

RAJESH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 112.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन में वरिष्ठ सहायक (प्रशासन) और कनिष्ठ सहायक (प्रशासन), समूह 'ग' पद, भर्ती नियम 2023 को, जहां तक उनका संबंध वरिष्ठ सहायक (प्रशासन) के पद से है, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने से छोड़ी गई बातों को छोड़कर, अधिक्रमण करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन में वरिष्ठ सहायक (प्रशासन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, वरिष्ठ सहायक (प्रशासन) समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**– उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**– उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**– वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**– जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हे लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति.**–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स मे स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
वरिष्ठ सहायक (प्रशासन)	*14 (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, सचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये)